निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

बइजलास श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

दिनांकः– 10/5/17

प्रकरण संख्याः– 87 / 2014

उनवानः–
गंगासिंह पिता किशोरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी ग्राम गुडली तह0 छोटीसादडी राज0 ––वादी

:: बनाम ::

1– चेनसिंह पिता किशोरसिंह जी राजपूत आयु वयस्क निवासी ग्राम गुडली तह0 छोटीसादडी राज0

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी ––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली प0ह0 हडमतिया जागीर तह0 छोटीसादडी में आ0नं0 395 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ0नं0 396 रकबा 0.03 हैक्टैयर, आ0नं0 397 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आ0नं0 400 रकबा 0.41 हैक्टेयर, आ0नं0 406 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ0नं0 407 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल कीता 6 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर स्थित हैं। जमाबन्दी चालू खाते की साथ पेश हैं उक्त आराजीयात आगे वाद में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से जानी जावेगी।

2– कि कलम नं0 एक में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पंर वादी करीब 52 साल से निरन्तर बिला किसी रोक टोक के काश्त करता चला आ रहा हैं उक्त वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी नं0 एक के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों की त्रुटि के कारण प्रतिवादी नं0 एक के नाम दर्ज हो गयी पर वादी पिछले करीब 52 साल से वादग्रस्त आराजीयात में खेत हांक फसल बोता लेता चला आ रहा हैं तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी खातेदार काश्तकार होकर वादग्रस्त आराजी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी हैं जिस बावत यह वाद बावत घोषणा का पेश हैं।

3– कि प्रतिवादी नम्बर एक वादी का सगा भाई होकर सन 2007 में उन्होंने बैंक लोन से ट्रेक्टर लिया व अपनी अन्य आराजीयात के साथ उक्त वादग्रस्त आराजी जो केवल उनके रेवेन्यु रिकार्ड में दर्ज हैं जमीन कम पडने से वादी को मिठी मिठी बातें कर वादग्रस्त आराजीयात की बात में लोन समाप्त होने के बाद प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में बिकाव की बिना प्रतिफल रजिस्ट्री करा खाते दर्ज कराने का प्रलोभन देकर वादी की वादग्रस्त आराजी भी बैंक के हक में मोरगेज रख दी व प्रतिवादी ने वादी के हक में दिनांक 07–05–07 को 100 रूपये के स्टाम्प पर छोटीसादडी आकर सागरमल जी जैन स्टाम्प वेण्डर टाईपिस्ट से एक अनुबन्ध पत्र बारे मे विकय पत्र लिखा रजिस्ट्री करा खाते दर्ज कराने बावत लिखा दिया जो वादी के पास हैं। अनुबन्ध पत्र की फोटो कॉपी साथ पेश हैं वादी ने प्रतिवादी को कई बार वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विकय पत्र लिखा रजिस्ट्री कराने की कहता आ रहा हैं पर प्रतिवादी टालमटूल का [illegible] प्रतिवादी के मन में बेईमानी उत्पन्न

प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने व आराजीयात पर होने से अन्य को बय करने की धमकी देने लगा जिस पर वादी ने प्रतिवादी को जरिये वकील नोटिस भेजा तो प्रतिवादी चेनसिंह को मिल गया उसके बाद भी प्रतिवादी ने अनुबन्ध की पालना करने से मना कर दिया व खेत अन्य को हस्तांतरण करने की धमकीयॉ देता आ रहा हैं जिस कारण प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से वादग्रस्त आराजीया पर जबरन कब्जा न करने कराने व अन्य को बय या अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करने कराने हेतु पाबन्द कराया जाना नितांत जरूरी हैं जिस बावत वादी वाद में उक्तानुसार स्थायी निषेधाज्ञा की दाद चाहता हैं जिस बावत वाद स्थायी निषेधाज्ञा का भी पेश हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या एक ने सम्मन लेने से मना किया गया हैं जिससे दिनांक 23–12–2014 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील वादी की ओर से दिनांक 9–03–2016 को वादी के बयान कराये गये वकील वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये जो कि प्रदर्श 1 लगायत 4 हैं, वकील वादी ने और साक्ष्य पेश करने से इंकार किया जिससे साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस रखी गई।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी हैं जिससे वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी के हक में प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा गुडली प0ह0 हडमतिया जागीर की आ0नं0 395 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ0नं0 396 रकबा 0.03 हैक्टैयर, आ0नं0 397 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आ0नं0 400 रकबा 0.41 हैक्टेयर, आ0नं0 406 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आ0नं0 407 रकबा 0.74 हैक्टेयर कुल कीता 6 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर वादी के स्वामित्व आधिपत्य की घोषित की जाती हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में वादी को खातेदार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10-5-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ